भारत का उपराष्ट्रपति (The Vice-President of India)

पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति (Vice President) का दूसरा स्थान है । The Vice President is second in the hierarchy after the President.

अनुच्छेद- 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा । उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ' पदेन सभापति' (Ex-office Chairman) होता है According to Article 63, there will be a Vice President of India. The Vice President is the 'ex-officio Chairman' of the Rajya Sabha

- अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद (Office of Profit) ग्रहण नहीं करता है (अनु. 64) He does not hold any other office of profit during his term of office (Article 64)

- भारत में उपराष्ट्रपति के पद सम्बन्धी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। The provisions regarding the post of Vice President in India have been taken from the Constitution of America.

उपराष्ट्रपति की योग्यतायें

(Qualification of The Vice President)

अनु. 66 (3) उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित (योग्यतायें होनी चाहिए।) यथा- Article 66 (3) A person should have the following qualifications for the post of Vice-President, namely:

(i) वह भारत का नागरिक हो । He should be a citizen of India.

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, He must have completed 35 years of age,

(iii) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो । Must be eligible to be elected as a member of the Rajya Sabha.

अनु. 66 (2) - उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा Article 66 (2) - The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of either House of the Legislature of a State.

उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही

The name of a candidate for the office of Vice-President shall be proposed by at least 20 voters and rejected by as many as 100 voters.

- मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए
- रु. 15000 की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।

Must be approved by voters

Security amount of Rs.15000 must be deposited.

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(Election of Vice President)

अनु. 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों

According to Article 66(1), the Vice-President is elected by all the members of both the Houses of Parliament.

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी 'अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है ।

The election of the Vice President also takes place through the 'single transferable vote system according to the proportional representation system' and voting in such an election is secret.

उपराष्ट्रपति की पदावधि

(Term of Office of Vice President)

- संविधान के अनच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the Vice President is 5 years.
- राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है । • Can submit resignation to the President.

त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति

कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 year's / 5 वर्ष

पद ग्रहण के दिन से

यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा; If the Rajya Sabha passes a resolution to remove him from office by a majority of all its then members and the Lok Sabha accepts it, the Vice President will have to resign;

Q ⇒ क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् अपने पद पर रह सकते हैं?

A ⇒ Yes, हाँ, जब तक नये उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया
Removal Process of Vice-President

आधार (Ground) => संविधान में इनको हटाने का कोई आधार निश्चित नहीं है।

=> उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्य सभा को दी गयी है।

⇓

1. राज्यसभा में प्रस्ताव पेश (Introduced the motion in Rs) → प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दी जाती है।
2. प्रस्ताव पर चर्चा (Discussion on the Motion)
3. प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित (Passed the Motion with simple Majority)

Rs => Pass -> लोकसभा -> सहमति प्रस्ताव पर।

उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम चौदह दिन (14) पूर्व 🔫 दे दी गई हो । The Vice President has been informed at least fourteen (14) days in advance.

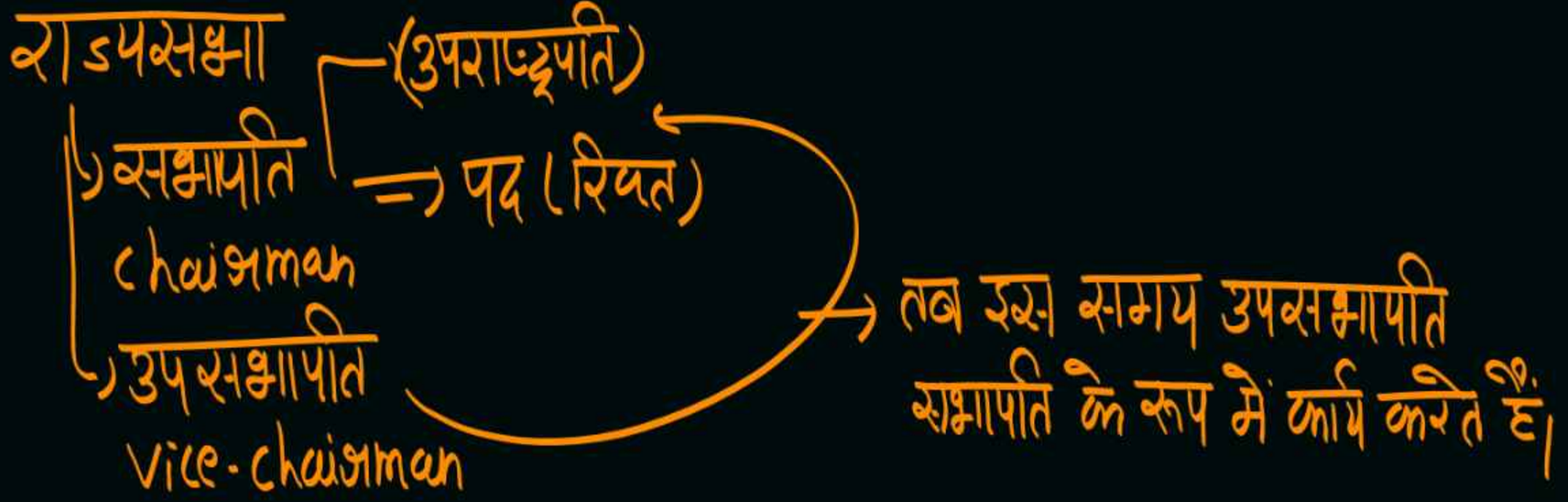
- उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र (As Soon As) कराया जायेगा।

 The election to fill the vacancy caused by his death, resignation or removal shall be held as soon as possible.

उपराष्ट्रपति → मृत्यु (Death)
⇒ हटाया जाये
⇒ त्यागपत्र
⇒ अन्य कारण।

→ Acting Vice President
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति ✗

पद रिक्त (Vacant)
⇓
निर्वाचन के द्वारा पद को भरा जायेगा।


राज्यसभा
(उपराष्ट्रपति)
1) सभापति
chairman
=) पद (रिक्त)
2) उपसभापति
Vice-chairman
तब इस समय उपसभापति
सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

- नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। The new Vice President will hold office for a term of five years from the date on which he assumes office.

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । There is no provision in the Constitution for appointing an acting Vice President.

उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है । वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। The Vice President is eligible for re-election. He can be elected to this post multiple times.

उपराष्ट्रपति ⇒ Re-election/पुनर्निर्वाचन

↳ एक व्यक्ति जितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है।

Art. 64 ⇒ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio chairman)
Art. 89 ⇒ राज्यसभा के सभापति होंगे। ✓

उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। The Vice-President continues in office even after completing his five-year term until his successor assumes office.

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

अनुच्छेद 69,

Article 69,

शपथ ⇒ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।

Vice-President take the oath front of President.

वेतन एवं भत्ते (The Salary and Allowances)

अनु. 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

The salary of the Chairman of Rajya Sabha is paid under Article 97. He is not paid the salary of his post.

Art:97 → वेतन => (सभापति Chairman) => 4 लाख रु०/ प्रत्येक माह (Per month)
⇓
भारत की संचित निधि से दिया जाता है। (Pay from Consolidated Fund of India)

यह वेतन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होता है।

This salary is charged on the Consolidated Fund of India.

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। When the Vice President acts as Acting President under Article 65, he does not function as the Chairman of the Rajya Sabha.

प्रधानमंत्री + मंत्रिपरिषद् (संघ)
PM + COM

Art. 74 => संघ मंत्रिपरिषद् (COM) का गठन किया जायेगा, जिसका प्रधान (Head) प्रधानमंत्री (PM) होगा। मंत्रिपरिषद् का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता (Help & Advice) देना होगा।

Art. 75(1) => प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Appoints of PM => by the President.

मुख्यमंत्री + मंत्रिपरिषद (राज्य)
CM + COM (state)

Art. 163 राज्य मंत्रिपरिषद् का गठन किया जायेगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद् का कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देना होगा।

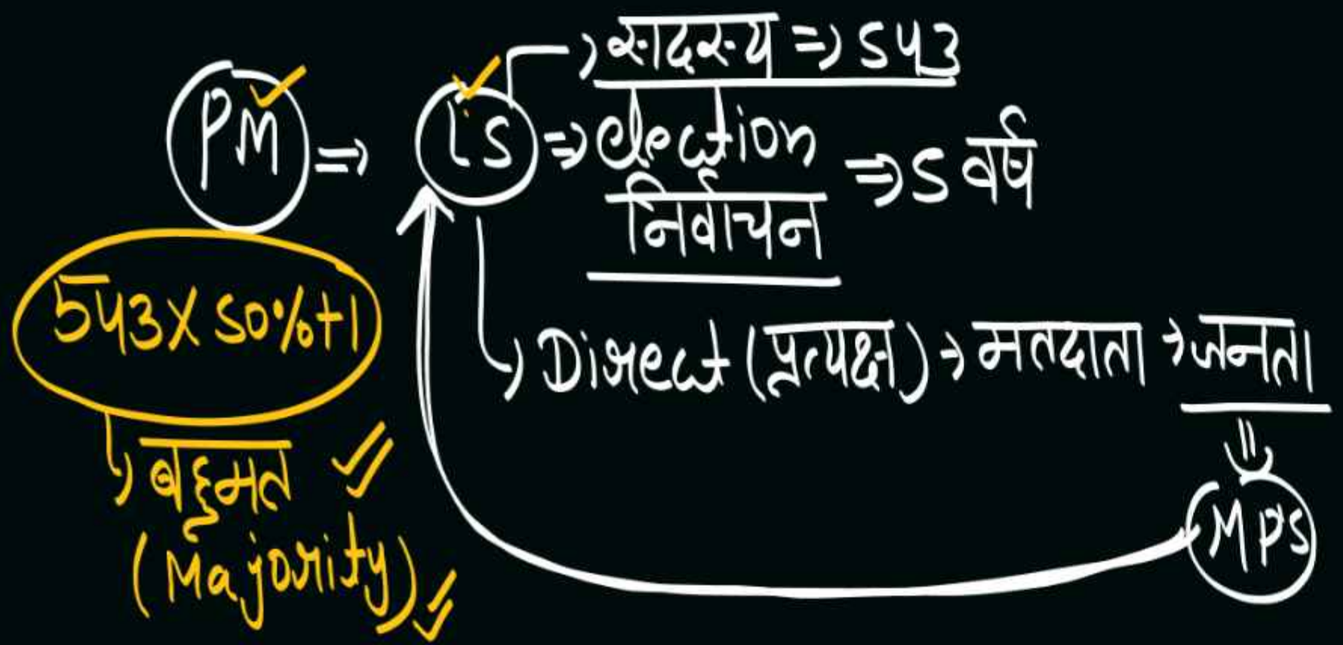
Art. 164(1) -> मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा

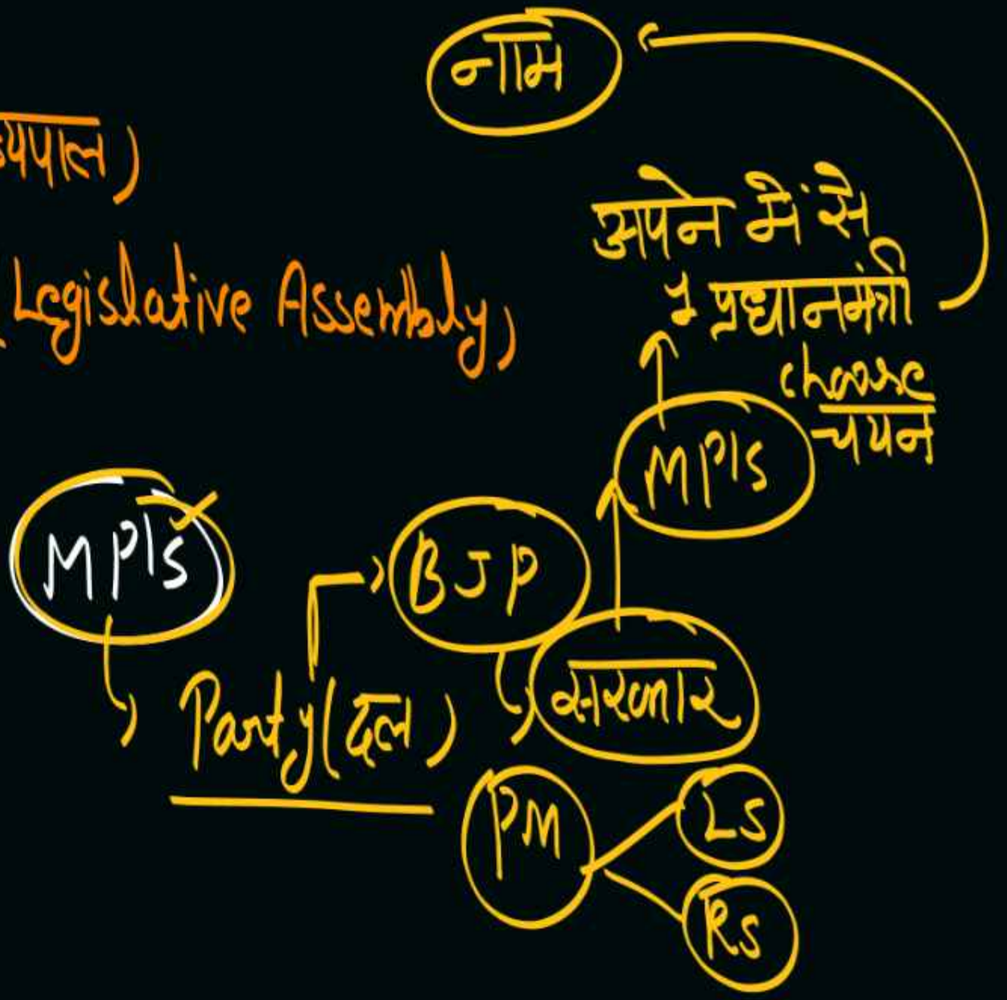
Appoints of CM => by the Governor.

MP ⇒ MLA's

Union Govt.
PM
COM
(राष्ट्रपति) President
Loksabha

State Govt.
CM
COM
Governor (राज्यपाल)
विधानसभा (Legislative Assembly)





⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात्
After Appoints of PM

① अनुसूची-3 (Schedule-3) ⇒ PM की शपथ
oath of PM

↓

शपथ - 2 प्रकार (Type)

① पद (Post)
② गोपनीयता (Secrecy)

↓

राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं।
PM take the oath from
of President.

CM की नियुक्ति के पश्चात्

शपथ ⇒ अनुसूची-3
↳ 2 प्रकार ⇒ पद, गोपनीयता
↳ राज्यपाल दिलाते

CM ⇒ शपथ

CM -> राज्यपाल दिलाते
↳ शपथ - अनुसूची-3